

राजस्थान सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 15(1)प्राशि/2017

जयपुर, दिनांक: 16 FEB 2017

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त
2. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा), समस्त।

विषय: ग्राम पंचायत सहायकों को लगाये जाने के सम्बन्ध में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 2231/2017 बोदू राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 15.02.2017 की अनुपालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों को लगाये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 2231/2017 बोदू राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 15.02.2017 की अनुपालना में ग्राम पंचायत सहायक की चयन प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, परन्तु राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों हेतु ग्राम पंचायत सहायकों का सम्पूर्ण परिणाम (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के स्तर पर) पूर्णतया गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए सीलबंद लिफाफे में रखा जावे तथा माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना परिणाम जारी नहीं किया जावे। ग्राम पंचायत सहायकों की सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया माननीय राज० उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 2231/2017 बोदू राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन रहेगी।

माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 15.02.2017 की प्रति अक्षरशः पालनार्थ संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (मान० राज० उच्च न्यायालय, जयपुर का निर्णय दि० 15.02.2017)

  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्यमंत्री (प्रा०शि० स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज० उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
9. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. संयुक्त परामर्शी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग।
12. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
13. जिला कलक्टर - समस्त।
14. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - समस्त।
15. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
16. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), जयपुर एवं जोधपुर।
17. विकास अधिकारी - समस्त।
18. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी - समस्त।
19. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
20. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव

